डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
पूसा (समस्तीपुर) – 848 125, बिहार

आ0 सं0– 02 स्था0/02/19/ 85 / रा.प्र.के.कृ.वि., पूसा, दिनांक 15/05/2021

आदेश

माननीय कुलपति महोदय के निदेशानुसार कोरोना वाइरस महामारी की दूसरी लहर देश के अनेक राज्यों सहित बिहार राज्य में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के आदेश संख्या– जी0/आपदा/06–02/2020– 2884 पटना दिनांक 13.05.2021 में लिए गए निर्णय के आलोक में वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में स्थितियों पर व्यापक नियंत्रण हेतु दिनांक 16.05.2021 से 25.05.2021 तक लॉकडाउन की अवधि को निम्नलिखित शर्तों के साथ विस्तारित किया जाता है :–

1. दिनांक 16.05.2021 से 25.05.2021 तक विश्वविद्यालय के सभी कार्यालय बंद रहेंगे।
2. इस लॉकडाउन अवधि में पूसा परिसर में आवासित कोई भी कर्मी परिसर छोड़कर नहीं जाएगें। अगर किसी भी कर्मी को अति आवश्यक कार्य से घर जाना है तो अपने नियंत्री पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ही जाएगें। उनके लौटने पर कोविड निगेटिव रिपोर्ट नियंत्री पदाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। साथ ही परिसर में आगमन के उपरान्त सात दिनों का क्वारन्टीन में रहने के बाद ही उनका योगदान स्वीकृत किया जाएगा।
3. आवश्यक सेवा जैसे विश्वविद्यालय अस्पताल/ सुरक्षा शाखा/ सम्पदा शाखा/ पूसा प्रक्षेत्र/ कुक्कुट एवं पशु प्रक्षेत्र (दूध के कूपन के आपूर्ति के साथ)/ मधुमक्खी पालन/ अतिथि भवन/ किसान घर/ टीशुकल्चर लैब/ फोडर मैनेजमेंट/ मशरूम ईकाइ/ ईख अनुसंधान संस्थान के लैब एवं कल्याणपुर प्रक्षेत्र के क्रॉप मैनेजमेंट/ हाईटेक हॉर्टीकल्चर/ सब्जी उत्पादन/ सभी प्रकार के शोध/एक्सपेरिमेंट/ केन्द्रीय भंडार का सभी प्रकार का क्रय कार्य ऑनलाईन/ सभी प्रकार के निर्माण कार्य एवं बीज प्रोसेसिंग/ निदेशालय, बीज/ अभियंत्रण शाखा (जल प्रबंधन)/ विद्युत शाखा/एरिस सेल इत्यादि कार्य यथावत् चलते रहेंगे।
4. सभी प्रकार के शिक्षण कार्यक्रम यथावत ऑनलाइन के माध्यम से चलते रहेंगे।
5. लॉकडाउन अवधि में विश्वविद्यालय परिसर में शादी समारोह वर्जित रहेगा।
6. इस अवधि में विश्वविद्यालय पुस्तकालय बन्द रहेंगे, लेकिन ई–लाईब्रेरी चलती रहेगी।
7. पूसा–ढोली–पूसा कार्यालय कार्य हेतु आने–जाने वाले की सूची एवं गाड़ी संख्या के साथ सुरक्षा शाखा को उपलब्ध करायगे, ताकि स्थानीय थाना से इनके आवागमन की अनुमति ली जा सके।
8. विश्वविद्यालय परिसर में पांच लोगों की संख्या या उससे ज्यादा एक साथ घुमना एवं एकत्रित होना वर्जित है।
9. परिसर निवासी कोविड प्रोटोकॉल के अन्तर्गत निर्देशित यथा मास्क पहनना, आपसी दूरी बनाए रखना, समय–समय पर हाथ धोना आदि का अक्षरशः पालन करें।

उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु द0प्र0सं0 की धारा 144 के अंतर्गत उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51–60 एवं भा0द0वि0 की धारा 188 के प्रावधान के अन्तर्गत अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

15/5/21

उप कुलसचिव (स्था0)

15/05/21

प्रतिलिपिः–

सभी अधिष्ठाता एवं निदेशक/कुलसचिव/नियंत्रक/सभी नियंत्री पदाधिकारी/विभाग प्रधान/प्रभारी एरिस सेल, रा.प्र.के.कृ.वि., पूसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। एरिस सेल को उक्त आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

कार्बन प्रति– कुलपति के सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।